बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (पटना) 02–31/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

Criminal Miscellaneous Case no–33376/2024 सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं Criminal Miscellaneous Case no– 41717/2024 वन्दना सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.12.2024 के अनुपालन में विभागीय जाँच दल द्वारा जाँचोपरांत उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती वीणा भारती, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, संपतचक के विरूद्ध दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–6 (12) एवं 6 (13) का उल्लंघन करते हुए स्वत्व वाद लंबित होने के बावजूद एवं दखल–कब्जा के बिन्दु पर जॉच पड़ताल किए बगैर प्रश्नगत दाखिल–खारिज वादों में स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुशंसा किए जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–566(15) दिनांक–09.04.2025 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्रीमती वीणा भारती के अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर, समस्तीपुर के पत्रांक–1067 दिनांक–14.05.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती भारती के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्रीमती भारती से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, पटना/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर, पटना/ श्रीमती वीणा भारती, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, संपतचक **सम्प्रति अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–31/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, पटना/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर, पटना/ श्रीमती वीणा भारती, अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Veena Bharati_RO_(sampatchak_patna).doc

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–41/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.........................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–31/2025–......571......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...15.4.26

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त **(वै0दा0नि0को0)** विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति)**/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Veena Bharati_RO_(sampatchak_patna).doc